

डिस्क्लेमर

आदेश संख्या 23/2021-22 के मुख पृष्ठ, निर्णयों का सार और आदेश संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रान्ति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।



भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

देहली एविेशन फ्यूल फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड (डीएएफएफपीएल) के संबंध में
आईजीआई हवाईअड्डा, नई दिल्ली में ईंधन अवसंरचना प्रभागों के निर्धारण के मामले में
(01.04.2021 से 31.03.2026)

07 अक्टूबर, 2021

ऐरा भवन
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली – 110003

अध्याय 12 प्राधिकरण के निर्णयों का सार

अध्याय और पैरा संख्या		निर्णय का सार	पृष्ठ संख्या
अध्याय संख्या 2	2.18.1	प्राधिकरण ने तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए 'सिंगल टिल' के अंतर्गत "प्राइस कैप कार्य-प्रणाली" अपनाने का निर्णय लिया है।	15
अध्याय संख्या 3	3.41.1	प्राधिकरण द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका संख्या 10 के अनुसार मूल्यहास को मानने का निर्णय लेता है।	38
	3.41.2	प्राधिकरण तालिका संख्या 12 के अनुसार विनियामक परिसंपत्ति आधार को टूटने के लिए निर्णय लेता है।	
	3.41.3	प्राधिकरण तालिका संख्या 14 के अनुसार प्रतिभूति जमा को मानने का निर्णय लेता है और द्वितीय नियंत्रण अवधि के टूटने के लिए इस पर 5% नाममात्र का प्रतिलाभ मानने का निर्णय लेता है।	
	3.41.4	प्राधिकरण तालिका संख्या 16 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के टूटने के लिए सीएसआर सहित प्रचालन खर्च को मानने का निर्णय लेता है।	
	3.41.5	प्राधिकरण समग्र द्वितीय नियंत्रण अवधि के दौरान लीज भुगतानों को प्रचालन के खर्च के रूप में मानने का निर्णय लेता है।	
	3.41.6	प्राधिकरण द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका संख्या 18 के अनुसार आयकर को मानने का निर्णय लेता है।	
	3.41.7	प्राधिकरण द्वितीय नियंत्रण अवधि के टूटने के लिए तालिका संख्या 20 के अनुसार अन्य आय को मानने का निर्णय लेता है।	
	3.41.8	प्राधिकरण द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका संख्या 24 के अनुसार एफआरओआर को टूटने के लिए निर्णय लेता है।	
	3.41.9	प्राधिकरण द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका संख्या 25 के अनुसार डीएफएफपीएल की कुल राजस्व अपेक्षा को टूटने के लिए निर्णय लेता है और तृतीय नियंत्रण अवधि में समायोजन के लिए 14454.62 लाख रुपये की कराधान द्वारा भरपाई को मानने का भी निर्णय लेता है।	
अध्याय संख्या 4.	4.9.1	प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए तालिका संख्या 30 के अनुसार अनुमानित ईंधन श्रृंखला (मात्रा) को मानने का निर्णय लेता है।	42
	4.9.2	प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के दौरान ईंधन श्रृंखला (मात्रा) को टूटने के लिए निर्णय लेता है।	
अध्याय संख्या 5.	5.21.1	प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका संख्या 40 के अनुसार संशोधित मूल्यहास को मानने का निर्णय लेता है।	59
	5.21.2	प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका संख्या 43 के अनुसार डीएफएफपीएल के विनियमित परिसंपत्ति आधार को मानने का निर्णय लेता है।	

	5.21.3	प्राधिकरण चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के दौरान मूल्यहास और आरएबी को टूअप करने का निर्णय लेता है।	
	5.21.4	प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कि डीएफएफपीएल पूंजीगत व्यय योजना का पालन करता है, अगली नियंत्रण अवधि के टैरिफ निर्धारण के दौरान तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टूअप कार्य में पूंजीकरण की समय-सारणी के अनुसार कोई भी विशिष्ट कैपेक्स पूर्ण न होने पर एआरआर/लक्ष्य राजस्व से गैर पूंजीकृत कैपेक्स की 1% राशि पुनर्समायोजन के रूप में कम करने का प्रस्ताव करता है।	
	5.21.5	प्राधिकरण यह प्रस्ताव करता है कि हवाईअड्डा प्रचालक को किए गए लीज भुगतान तृतीय नियंत्रण अवधि के दौरान प्रचालन खर्च के रूप में समझे जाएंगे।	
अध्याय संख्या 6.	6.20.1	प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए 14% ईक्विटी की लागत बनाए रखने का निर्णय लेता है।	67
	6.20.2	प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए 7.05% ऋण की लागत अंगीकार करने का निर्णय लेता है।	
	6.20.3	प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका संख्या 38 में परिकलित किए अनुसार संशोधित एफआरओआर को अपनाने का निर्णय लेता है।	
	6.20.4	प्राधिकरण प्रतिभूति जमा पर 5% प्रतिलाभ बनाए रखने का निर्णय लेता है।	
	6.20.5	प्राधिकरण तालिका संख्या 50 के अनुसार प्रतिभूति जमा राशि अंगीकार करने का निर्णय लेता है।	
	6.20.6	प्राधिकरण चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के दौरान एफआरओआर को टूअप करने का भी निर्णय लेता है।	
अध्याय संख्या 7.	7.11.1	प्राधिकरण तालिका संख्या 53 के अनुसार प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय को मानने का निर्णय लेता है।	72
	7.11.2	प्राधिकरण चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के दौरान प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय को टूअप करने का भी प्रस्ताव करता है।	
अध्याय संख्या 8.	8.4.1	प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका संख्या 55 के अनुसार अन्य आय को मानने का प्रस्ताव करता है।	73
	8.4.2	प्राधिकरण चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के दौरान वास्तविक आधार पर अन्य आय को टूअप करने का भी प्रस्ताव करता है।	
अध्याय संख्या 9.	9.6.1	प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए तालिका संख्या 57 के अनुसार आयकर को मानने का प्रस्ताव करता है।	75
	9.6.2	प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के दौरान आयकर को टूअप करने का भी प्रस्ताव करता है।	
अध्याय संख्या 10.	10.6.1	प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका संख्या 59 में यथापरिकलित कुल राजस्व अपेक्षा को मानने का प्रस्ताव करता है।	

	10.6.2	प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका संख्या 60 के अनुसार एफआईसी दर का प्रस्ताव करता है।	79
	10.6.3	प्राधिकरण चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के दौरान एआरआर को टूअप करने का भी प्रस्ताव करता है।	
अध्याय संख्या 11.	11.6.1	प्राधिकरण डीएफएफपीएल, आईजीआई हवाईअड्डा, दिल्ली के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (01.11.2021 से 31.03.2026) के लिए संलग्नक-I के अनुसार टैरिफ दर मानने का निर्णय लेता है।	
			81

अध्याय 13 आदेश

रिकॉर्डों में उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा आदेश देता है कि:

- (i) डीएफएफपीएल को तृतीय नियंत्रण अवधि (01 नवम्बर, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक) के लिए **संलग्नक- I** के अनुसार ईंधन अवसंरचना प्रभागों के लिए टैरिफ वसूल करने की अनुमति दी जाती है।
- (ii) नई टैरिफ की वसूली 01 नवम्बर, 2021 से प्रभावी होगी।
- (iii) इसमें अनुमोदित टैरिफ दरें उच्चतम दरें हैं और इनमें यथा लागू कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।
- (iv) हवाईअड्डा प्रचालक आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवामें,

श्री दीपक अग्रवाल,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
देहली एविएशन फ्यूल फैसिलिटी (पी) लिमिटेड
एविएशन फ्यूल स्टेशन, शाहबाद मोहम्मदपुर,
नई दिल्ली -110061

प्रतिलिपि,

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय,
राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली -110003.
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
आईजीआई हवाईअड्डा,
नई दिल्ली

